न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
150/21	01.10.21	04.01.23

उनवान

1. रामगिरी पत्नी श्रीम मामन यादव जाति अहीर निवासी ग्राम थडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0। :–वादीया

बनाम

1. श्रीराम पुत्र श्री बाबूलाल
2. अतरसिंह पुत्र श्री बाबूलाल
3. राजकलां पत्नी स्व0 श्री रामौतार
4. सुधीर पुत्र स्व0 श्री रामौतार
5. अमित पुत्र स्व0 श्री रामौतार
6. शशीबाला पुत्री स्व0 श्री रामौतार
7. सरिता पुत्री स्व0 श्री रामौतार
8. राजसिंह पुत्र स्व0 श्री दलीप सिंह
9. सत्यपाल पुत्र स्व0 श्री सज्जन सिंह पोत्र दलीप सिंह
10. वेदपाल पुत्र स्व0 श्री सज्जन सिंह पोत्र दलीप सिंह जातियान अहीर निवासीयान ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय(भूमिधारी अधिकारी) किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. वादीया की ओर से बलराम यादव वकील।
2. प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 इकबाल जवाब दावा।

निर्णय

वकील वादीया द्वारा पेश वाद के सुक्ष्म वृतांत निम्नप्रकार से हैः–वादीया ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि खाता संख्या नया 123 मे वर्णित आराजी ख0 सं0 179 रकबा 0.1300हे0, 180 रकबा 0.0800हे0, 181 रकबा 0.2700हे0, 188 रकबा 0.8000हे0 206 रकबा 0.300हे0 किता 05 रकबा 1.5800हे0 स्थित वाके ग्राम बगथला तहसील किशनगढबास

4/1/23

जिला अलवर राज0 मे स्थित है । उक्त आराजी वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत् 2074 से 77 संलग्न वाद पत्र है।

खाता संख्या नया 123 मे वर्णित आराजी ख0 सं0 179 रकबा 0.1300हे0, 180 रकबा 0.0800हे0, 181 रकबा 0.2700हे0, 188 रकबा 0.8000हे0 206 रकबा 0.300हे0 किता 05 रकबा 1.5800हे0 स्थित वाके ग्राम बगथला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, जिनके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज हो रहा है।

उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 8 लगा0 10 के स्वर्गीय पिता दलीप सिंह पुत्र हीरासिंह के नाम का अंकन बतौर बकाश्त दलीप पुत्र हीरासिंह अहीर सा0 कोठडा उपकृषक साल 16 खसरा संख्या 188 के नाम का अंकन दर्ज हो रहा है। जो गलत रूप से दर्ज हो रहा है। जिसको वादीया हजफ कराकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराकर दुरूस्ती कराना चाहती है।

खाता संख्या नया 123 मे वर्णित आराजी ख0 सं0 179 रकबा 0.1300हे0, 180 रकबा 0.0800हे0, 181 रकबा 0.2700हे0, 188 रकबा 0.8000हे0 206 रकबा 0.300हे0 किता 05 रकबा 1.5800हे0 स्थित वाके ग्राम बगथला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 मिन वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 से जरिये रजिस्टर्ड पंजीकृत बयनामा के बेबाक कीमत अदा कर खरीद किया हुआ है, जिसका बयनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 ने मिन वादीया के हक मे दिनांक 09.04.2012 को तहरीर व तकमील कराकर उपपंजियक कार्यालय किशनगढबास जिला अलवर के यहां दिनांक 09.04.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 460 मे पृष्ठ संख्या 148 कम संख्या 2012001215 पर पंजीबद्ध करवाया हुआ है। वक्त खरीद के दिन से मिन वादीया उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रही है। उक्त आराजी की कब्जा काश्त से किसी अन्य का किसी भी प्रकार कोई संबंध व सरोकार नही है।

मिन वादीया जो कि एक पर्दा नसीन महिला है, जिसने बयनामा कराने के बाद यह सोचा कि उक्त आराजी अब मेरे नाम हो जावेगी। दिनांक 16.06.2021 को मिन वादीया हल्का पटवारी के पास गयी और हल्का पटवारी के पास जाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड संबंधी जानकारी चाही त हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 के नाम है तथा बकाश्त दलीप पुत्र हरिसिंह के नाम से है। जिस पर मिन वादीया ने बयनामा के आधार पर आराजी अपने नाम दर्ज करने के लिये कहा तो हल्का पटवारी ने श्रीमान तहसीलदार साहब से आदेश कराने के लिए कहा, जिस पर मिन वादीया ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय किशनगढबास के यहां दिनांक 16.06.2021 को लिखवाया जिस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 02.08.2021 को श्रीमान

4/1/23

तहसीलदार साहब ने पटवारी हल्का को नियमों के मुताबिक कार्यवाही करने के लिए लिखा, जिस पर मिन वादीया हल्का पटवारी के पास गयी तो हल्का पटवारी ने बयनामा के आधार पर अंकन करने से इन्कार कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती कराने के लिये कहा।

इस पर मिन वादीया दिनांक 18.09.2021 को प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 से मिली उनसे सम्पर्क किया और उक्त आराजी की दुरूस्ती कराने और बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 के मन मे बेईमानी आ गई और उन्होने कहा कि हम कोई दुरूस्ती नही करायेगें तथा उक्त आराजी को गलत अंकन के आधार पर किसी दीगर व्यक्ति अथवा संस्था को रहन,बय,लिज,हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करके रहेगे। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो वादीया को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षति किसी भी कीमत मे नही आंकी जा सकेगी। जिसके कारण वादीया प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने की अधिकारणी है । जिसके कारण वादीगण को यह दाव पेश करना लाजिम आया है।

उक्त आराजी वादीया द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामा के आधार पर मूल खातेदारान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 से खरीद की हुई है तथा खरीद के दिन से वादीया उक्त आराजी पर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त कार्य करती चली आ रही है। उक्त आराजी से किसी अन्य का किसी प्रकार संबंध व सरोकार नही है। राजस्व रिकार्ड में आराजी उक्त की बाबत हो रहे गलत अंकन को हजफ किया जाकर मिन वादीया के हक मे बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दर्ज किये जाकर ताहाल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। वादीया को तन्हा आराजी विवादित का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः—

अ—डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार पारित की जाकर करार दिया जावे कि खाता संख्या नया 123 मे वर्णित आराजी ख0 सं0 179 रकबा 0.1300हे0, 180 रकबा 0.0800हे0, 181 रकबा 0.2700हे0, 188 रकबा 0.8000हे0 206 रकबा 0.300हे0 किता 05 रकबा 1.5800हे0 स्थित वाके ग्राम बगथला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 मिन वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 से जरिये रजिस्टर्ड पंजीकृत बयनामा के बेबाक कीमत अदा कर खरीद किया हुआ है, जिसका बयनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 ने मिन वादीया के हक में दिनांक 09.04.2012 को तहरीर व तकमील कराकर उपपंजियक कार्यालय किशनगढबास जिला अलवर के यहॉ दिनांक 09.04.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्यया 460 में पृष्ठ संख्या 148 कम संख्या 2012001215 पर पंजीबद्ध करवाया हुआ है। वक्त खरीद के दिन से मिन वादीया उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रही है। उक्त आराजी की कब्जा काश्त से किसी अन्य का किसी भी प्रकार कोई संबंध व सरोकार नही है। जिसके कारण वादीया राजस्व रिकार्ड में उक्त

4/1/23

आराजी की खातेदारी अपने नाम प्राप्त करने की अधिकारी है। वादीया को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे । प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 व प्रतिवादी संख्या 08 लगा0 10 के पिता दलीप का नाम बकाश्त से हजफ किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादीया को आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दुरूस्ती की जावे।

ब— डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि जो गलत इन्द्राज साबिक वो हाल जमाबन्दीयात मे दर्ज हो रहा है, जो वादीया के विरूद्ध बातिल व बेअसर है उन्हे निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादीया के नाम आराजी की खातेदारी दर्ज की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

स— डिक्री हुक्मइम्तनाई दवामी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर पारित की जावे कि विवादित आराजी खाता संख्या नया 123 मे वर्णित आराजी ख0 सं0 179 रकबा 0.1300हे0, 180 रकबा 0.0800हे0, 181 रकबा 0.2700हे0, 188 रकबा 0.8000हे0 206 रकबा 0.300हे0 किता 05 रकबा 1.5800हे0 स्थित वाके ग्राम बगथला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 को प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 10 किसी दीगर को रहन,बय,लिज,हिबा इत्यादि द्वारा मुन्तकिल न करे, ना ही वादीया के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा रूकावट,मजाहमत,मदाखलत पैदा करे, ना ही वादीया को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करे, ना ही वादीया द्वारा उक्त आराजी मे बोई वो कुदरती पैदावार को नष्ट करे, ना ही वादीया को आराजी से बेदखल करे। प्रतिवादी संख्या 11 उक्त आराजी की बाबत कोई दस्तावेज पंजीबद्ध हेतु प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध नही करे। मौका व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करे। मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाई रखी जावे।

द— खर्चा मुकदमा का वादीया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

य— दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे वादीगण को अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में उप0 होक वादिया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जवाब देहिन्दागण 8 लगा0 10 कि स्वर्गीय पिता दलीप सिंह पुत्र हीरासिंह के नाम अंकन बतोर काश्तकार का अंकन हो रहा है। जो गलत रूप से दर्ज हो रहा है जिस अंकन को हजफ किया जाकर वादीया के नाम का अंकन बतौर खातेदारी कर दिया जावे तो हम जवाबदेहिन्दागण को कोई आपत्ति नही है।

जवाब पेश होने के पश्चात वादीया की साक्ष्य ली गई वादिया ने अपनी साक्ष्य में स्वयं के बयान पीडब्लू—1, मामनयादव पुत्र रामस्वरूप पीडब्लू—2,सतीश कुमार पुत्र मामनसिंह पीडब्लू—3 पेश किये है । तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2076 किता—2 प्रदर्श—1, बयनामा दिनांक 9.4.2012 प्रदर्श—2 पेश किये है।

5/1/23

वकील वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीया ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादिया बरूये इकबाल जवाब दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया । वकील वादीया की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया । असल बयनामा दिनांक 09.4.2012 के अवलोकन से साबित है कि विवादित आराजी वादिया की प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 से खरीद शुद्वा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने दावा वादीया डिक्री किये जाने की किया जाकर सहमति देते हुए इकबाल जवाब दी है। तथा हाल जमाबंदी में जो अंकन बकाश्त दलीप पुत्र हीरासिहं अहीर गोठडा उपकृषक साल 16 खसरा नं0 188 का अंकन हो रहा है तो दिलीप के वारिसायान प्रतिवादीगण 8 लगा0 10 ने अपने पिता का नाम उपकृषक हो रहा है को हजफ किये जाने बाबत भी सहमति दी है। तथा विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण ने वादिया का मौका कब्जा काश्त बताया है। जिससे साबित होता है कि विवादित आराजी वादीया की कब्जा काश्त खरीदशुद्वा खातेदारी की आरजी है। जिस पर प्रतिवादीगण के नाम का जो अंकन हो रहा है उसे हजफ किया जाकर वादीया को खरीददार खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना उचित एवं न्यायासंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

वादी वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण बरूये इकबाल जवाब दावा डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0न0 हाल 179 रकबा 0.1300हे0, 180 रकबा 0.0800हे0, 181 रकबा 0.2700हे0, 188 रकबा 0.8000हे0, 206 रकबा 0.300हे0 किता 05 रकबा 1.5800हे0 स्थित वाके ग्राम बगथला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 का वादीया को खरीददार कब्जे काश्त खातेदार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकार्ड में जो अंकन प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 व 8 लगा0 10 के पिता दिलीप का नाम बकाशत का अंकन हो रहा है। उसे हजफ किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। खर्चा फैरीकेन अपना अपना वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)